

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

बालूराम

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

हेमाराम वगैरह

मुकदमा नं. 81 /2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
10.02.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वर्ष 2021 से प्रतिवादीगण की तलवी में विचाराधीन चल रही है। तारीख पेशी 15.07.2024 को प्रतिवादीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश करने का अन्तिम अवसर प्रदत्त किया गया था। परन्तु साबिका आदेश की पालना वकील वादी ने नहीं की है। दिनांक 18.12.2024 को वकील प्रार्थी को साबिका आदेश की पालना नहीं किये जाने पर प्रकरण हाजा को सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ अवसर दिया गया। परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना आदिनां तक नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 अदम तकमील में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

(जीतू कुलहरी)

उपखण्ड अधिकारी

नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी

नावां (डीडवाना-कुचामन)